प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एंव निर्भीक

# शैल साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक-16 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 11-18 अप्रैल 2016 मूल्य पांच रूपए

# ब्रिगेड का बनना और भंग होना-दोनो सवालों में

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समर्थकों ने मंगलवार को उनके नाम से ब्रिगेड गठित करके प्रदेश के राजनीकि और प्रशासनिक हल्कों में सनसनी पैदा कर दी थी। लेकिन बुधवार को ही इस ब्रिगेड को भंग करके इस सनसनी में कई और सवाल जोड़ दिये है। यह ब्रिगेड गठित क्यों किया गया और फिर इसे दूसरे ही दिन भंग क्यों कर दिया?

इन सवालों की पड़ताल करने से पहले वीरभद्र की राजनीकि कार्यशैली को समझना आवश्यक है वीरभद्र ने 1983 में प्रदेश की सत्ता संभाली थी और यह सत्ता पाने के लिये उस समय कथित वन माफिया को मिल रहे सरकारी संरक्षण के खिलाफ एक खुलासा पत्र लिखकर हाईकमान को यह दो टूक संदेश दिया कि यदि नेतृत्व परिवर्तन न किया गया तो वह पार्टी तक छोड़ सकते हैं। उसके बाद 1993 में जब प. सुखराम के साथ टकराव की स्थिति आयी तब विधानसभा का घेराव करके फिर हाईकमान को चुनौती दी और पार्टी के आधे विधायकों की गैर मौजूदगी में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसी तरह 2012 में कौल सिंह के साथ टकराव आया और तब भी अलग संगठन खड़ा करने के संकेत उछाल दिये। 2012 में वीरभद्र के पक्ष में केवल आधा ही विधायक दल था। प्रदेश के राजनीतिक पंडित इस घटनाक्रम से पूरी तरह परिचित हैं और इससे यही स्पष्ट होता है कि वीरभद्र हर वक्त अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सत्ता में आते रहे हैं। वीरभद्र की इस राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा हथियार यह रहा है कि वह अपने हर विरोधी को भ्रष्ट प्रचारित और प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। उनके खिलाफ जब भी आवाज उठी तो उसे अदालत में मानहानि के मामलें डालकर चुप करवाया जाता रहा और अन्त में उन मामलों में समझौते करके मामले समाप्त हुए। लेकिन जंहा समझौता नहीं हो पाया वहां वीरभद्र कभी सफल भी नहीं हो पाये हैं यह भी एक कड़वा सच है।

अपनी इसी कार्य शैली का अनुसरण करते हुए वीरभद्र ने इस मानहानि मामलें डालने की रणनीति का सहारा लिया और अरूण जेटली, धूमल, अनुराग पर यह मामले डाले।

लेकिन अरूण जेटली के खिलाफ मामला वापिस लेकर अपनी रणनीतिक असफलता को जग जाहिर होने से बचा नहीं पाये। इसी तरह पूर्व डी जी पी मिन्हास के खिलाफ हर कुछ दावे करते रहे वीरभद्र मिन्हास का कुछ नही बिगाड़ सके। अवैध फोन टेंपिग का खुद शिकार रह चुके वीरभद्र के इस मामले में भी सारे दावे हवाई सिद्ध हुए हैं। धूमल के संपति मामले की जांच में भी वीरभद्र बुरी तरह असफल हुए हैं। कुल मिलाकर इस कार्यकाल में वीरभद्र हर कदम पर बुरी तरह असफल रहे हैं। इतनी सारी असफलताओं का मूल कारण रहा है कि इस बार 2012 में सत्ता संभालने से पहले ही वह आयकर और सीबीआई जांचों का चक्रव्यूह अपने साथ लेकर आये थे। सत्ता संभालने के बाद संयोग से उनके गिर्द एक ऐसा घेरा बन गया जिसने यह सुनिश्चित रखा की वीरभद्र केन्द्र की जांच ऐजैन्सीयों के घेरे से कभी बाहर आ ही न पायें। आज वीरभद्र पूरी तरह केन्द्र की ऐजैन्सीयों के ऐसे पक्के फदे में फंसे हुए हैं जहां से बाहर निकल पाना संभव नहीं लगता।

ऐसी वस्तुस्थितियों में घिरे हुए वीरभद्र के सलाहकारों ने वीरभद्र ब्रिगेड के नाम से एक समानान्तर संगठन खड़ा करवा कर अपने ही हाथों अपने खिलाफ फतवा लिख दिया कि उनकी सरकार और संगठन पूरी तरह असफल और निष्क्रिय हो चुके हैं जो उनकी नीतियों को जन-जन तक ले जाने में फेल हो चुके हैं। अपने ही हाथों अपने खिलाफ यह फतवा लिखकर यह उम्मीद करना कि पार्टी उनके ब्रिगेड गठित करने के फैसले का खुले मन से समर्थन करेगी अपने को ही धोखा देने से अधिक कुछ नहीं हो सकता है यह प्रमाणित हो गया। ब्रिगेड को इस तरह की वस्तुस्थितियों में भी समर्थन मिलने का जिसने भी आकलन किया होगा उसकी राजनीतिक समझ को लेकर कुछ नही कहा जा सकता। बल्कि इस ब्रिगेड के भंग कर दिये जाने से यह संदेश जाता है कि आज वीरभद्र के साथ चुने हुए विधायकों का समर्थन नही के बराबर है। बल्कि वही लोग उनके साथ हैं जो जिन्हे सत्ता में आने पर कुछ हासिल हुआ है लेकिन इन लोगों के सहारे सरकार नहीं चलाई जा सकती है। सरकार के लिये चुने हुए विधायकों का ही समर्थन चाहिये। आज ब्रिगेड के गठन और उसको भंग करने के दोनों ही फैसलों से वीरभद्र और रणनीतिकारों की करारी हार हुई है बल्कि जिन लोगों को ब्रिगेड के नाम पर सामने ला दिया गया है कल को उनसे सवाल पूछे जायेंगे कि वह वीरभद्र की किन नीतियों के समर्थक हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों से इस तरह के समर्थन से बाहर नहीं निकला जा सकता है।

# अरूण धूमल ने फिर खोला मोर्चा, वीरभद्र पर लगाये आरोप

## 1974 में बेचे प्लाट पर उठाये सवाल

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमन्त्री और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के छोटे बेटे अरूण धूमल ने एक बार फिर वीरभद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दावा किया है कि अभी तो ई.डी. ने केवल आठ करोड़ की संपति ही अटैच की है लेकिन इसमें निकट भविष्य में जो खुलासे वह करेगें उससे संपति का दायरा हजारों करोड़



INDIA NON JUDICIAL

१५०रु. Rs150

भारत

एक सौ पचास रुपया ONE HUNDRED & FIFTY RUPEES

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक २२ अक्तूबर १९७४ को शिमला में राजा वीरभद्र सिंह सपुत्र स्वर्गीय राजा पदम सिंह वालिए रामपुर बुशैहर वर्तमान् होली लाज जाखू शिमला-१ जिसको इसके उपरान्त "विक्रेता" कहा गया है व श्री दिवान चन्द भलैक सपुत्र श्री मानसुख भलैक निवासी ग्राम बाछली सब तहसील कुमारसैन जिला शिमला जिसको इसके उपरान्त "क्रेता" कहा गया है के पक्ष में लिखा गया है।

और जो कि विक्रेता की भूमि हेबट न० १२६ मिन खतौनी न० ३६० मिन खसरा न० ८०५,४८६ तादादी ६६५५ वर्ग गज २ वर्ग फुट जो स्टेशन वार्ड बड़ा शिमला में स्थित है जिसका इन्द्राज जमाबन्दी साल १९५०-५१ के अनुसार नगर निगम शिमला के कागजात में दर्ज है का स्वामी तथा कब्जाधारी चला आता है

हो जायेगा। वीरभद्र पर अपने नये हमले को मिशन 2016 का नाम देते हुए इसे शीघ्र ही अंजाम तक पहुंचाने का दावा किया है। हमले की पहली कड़ी में अरूण धूमल ने वीरभद्र सिंह द्वारा 1974 में अपने जाखू स्थित आवास हॉलीलाज में 1341.57वर्ग मीटर भूमि पांच हजार में कुमार सेन निवासी दीवान चन्द भलैक को बेचने का खुलासा किया। इस खुलासे में धूमल ने जानकारी दी की जमीन तो बेच दी मगर इसके खरीददारों को यंहा पर कोर एरिया के नाम पर मकान बनाने की अनुमति नहीं लेने दी और अन्तत: 2007 के अपने शासन काल में महज तीन माह में ही इस जमीन का 25,74,179.00 रूपये में प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रह करवा दिया। इस अधिग्रहण का मकसद नगर शिमला के वन क्षेत्र का विस्तार करना कहा गया है।

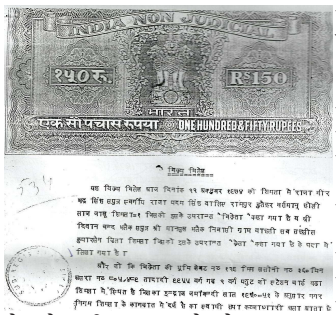

1974 में पांच हजार में बेची ज़मीन का 2007 में 25 लाख में प्रदेश सरकार द्वारा वानिकी के नाम पर अधिग्रहण करना और आज तक उसमें एक भी पेड़ का न लगाया जाना वीरभद्र और उनकी सरकार की नीयत और नीति पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इसमें एक रोचक तथ्य यह है कि इस जमीन के मालिकों ने अधिग्रहण का विरोध किया था और इसे लेकर अदालत तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अधिग्रहण नियमों में यह प्रावधान है कि यदि अधिगृहित की गयी जमीन का उद्देश्य तीन वर्षो में पूरा नहीं होता है तो ज़मीन मालिक को वापिस दिये जाने का भी नियमों में प्रावधान है इस जमीन को लेकर यह भी सवाल उठा है कि जब इसी हॉलीलाज क्षेत्र में वीरभद्र सिंह के बेटे



BEFORE SHRI G.C. NEGI, H.A.S. LAND ACQUISITION COLLECTOR, SHIMLA (Urban).

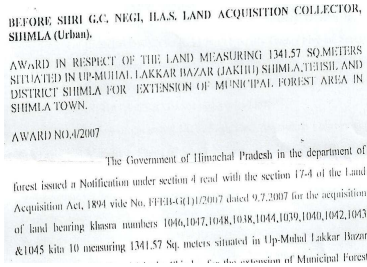

AWARD IN RESPECT OF THE LAND MEASURING 1341.57 SQ.METERS SITUATED IN UP-MUHAL LAKKAR BAZAR (JAKHU) SHIMLA,TEHSIL AND DISTRICT SHIMLA FOR EXTENSION OF MUNICIPAL FOREST AREA IN SHIMLA TOWN.

AWARD NO.4/2007

The Government of Himachal Pradesh in the department of forest issued a Notification under section 4 read with the section 17-4 of the Land Acquisition Act, 1894 vide No. FFEB-G(1)1/2007 dated 9.7.2007 for the acquisition of land bearing khasra numbers 1046,1047,1048,1038,1044,1039,1040,1042,1043 &1045 kita 10 measuring 1341.57 Sq. meters situated in Up-Muhal Lakkar Bazar ... for the extension of Municipal Forest

विक्रमादित्य को गैस्ट हाउस निर्माण की दो-दो अनुमतियां मिल सकती हैं तो फिर इन लोगों को मकान बनाने की अनुमति क्यों नहीं मिली। वैसे 1974 के बाद प्रदेश में दो बार शान्ता कुमार और दो ही बार धूमल की सरकारें भी सत्ता में रह चुकी हैं। नगर निगम के मुताबिक विक्रमादित्य को गैस्ट हाउस की पहली अनुमति 2011 में धूमल के शासन में मिली थी।

अरूण धूमल ने विक्रमादित्य के निर्माणधीन गैस्ट हाउस को लेकर यह भी सवाल पूछा कि यह गैस्ट हाउस तोअभी बन ही रहा है फिर पॉवर कंपनी को किराये पर कौन सा गैस्ट हाउस दिया गया था? अरूण धूमल के यह नये हमले कब तक चलते हैं और इनका परिणाम क्या निकलता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब यह बात दूर तक जायेगी। क्योंकि इस बीच धूमल और वीरभद्र में पत्रकार शशी कान्त की मध्यस्थता के परिणामस्वरूप सीजफायर हो चुका था। लेकिन अब यह सीजफायर उस वक्त टूटा है जब ई.डी. आठ करोड़ की संपतियां जब्त कर चुका है और वीरभद्र की विजिलैन्स धूमल को नोटिस भेजने की रस्म अदायगी कर चुकी है। अरूण धूमल ने इस नोटिस पर विजिलैन्स अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने के लिये भी तैयार रहने की चेतावनी दी है। अरूण धूमल निकट भविष्य में वीरभद्र प्रकरण में क्या नये खुलासे करते हैं यह तो वक्त ही बतायेगा। लेकिन इतना तय है कि अब इसमें शीघ्र ही कुछ नया देखने को मिलेगा।

# मौजूदा दौर में अभिभावकों व शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ी:आचार्य देवव्रत

**शिमला/शैल।** राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिक्षक समुदाय का आह्वान किया है कि बच्चों के मजबूत चरित्र निर्माण और मानवीय मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी

जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक और पूर्ण समर्पण की भावना से निभाएं। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के आज के युग में बच्चों के प्रति अध्यापकों की जिम्मेवारी अत्याधिक बढ़ गई है और समाज को उनसे अपेक्षा है कि वे इस जिम्मेदारी का निर्वहन सफलतापूर्वक करेंगे।

राज्यपाल सोलन जिला के आईश्र स्कूल, परवाणु के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ युवाओं को नैतिक शिक्षा प्रदान करना भी उतना की आवश्यक है ताकि वे देश के जिम्मेवार नागरिक बन सकें। उन्होंने कहा कि आज के बदलते परिवेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनका भविष्य संवारने में अभिभावकों व अध्यापकों की भूमिका निर्णायक है और दोनों को बच्चों में मानवीय मूल्यों के समावेश के लिए उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना चाहिए।

आचार्य देवव्रत ने समाज, विशेषकर युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इसके उन्मूलन के लिए योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और हम उन्हें नशे का शिकार होते नहीं देख सकते। उन्होंने नशीले द्रव्यों के सेवन के खिलाफ व्यापक स्तर जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि लिंग अनुपात में गिरावट हमारे समाज के लिए चिंता का एक और बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि देश को हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पिती जिला से सबक लेना चाहिए, जहां पिछली जनगणना के मुताबिक लिंग अनुपात सर्वोत्तम है।

राज्यपाल ने गुणवत्तयुक्त शिक्षा के लिए आईश्र स्कूल समूह के प्रयासों की सराहना की और स्कूल प्रबन्धकों से इसे बरकरार रखने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि परवाणु से स्कूल परिसर तक जाने वाले सड़क मार्ग को सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए जाएंगे।

आईश्र स्कूल समूह के अध्यक्ष एच.डी.एस. मल्होत्रा ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी।

स्कूली बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

परवाणु नगर परिषद् के अध्यक्ष ठाकुर दास, पार्षद राजेश शर्मा, निदेशक ग्रामीण फांउडेशन अर्जुन जोशी, प्रधानाचार्य दीपक सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

# बाबा साहेब अम्बेदकर की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अम्बेदकर जयंती के

अवसर पर यहां अम्बेदकर चौक पर आयोजित एक समारोह में भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेदकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहिब डॉ. अम्बेदकर ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो अथक प्रयास किए, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉ. अम्बेदकर ग़रीबों और समाज के पीड़ित वर्गों के लिए मसीहा बनकर उभरे और हमेशा महिलाओं व पुरुषों विशेषकर दलितों के अधिकारों के लिए कार्य करते रहे। उनकी गिनती समकालीन सर्वोच्च नेताओं में होती थी, जिनका राष्ट्र को दिया गया योगदान प्रशंसनीय है।

सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नगर निगम के महापौर संजय चौहान, उप महापौर टिकेन्द्र पंवर, एसजेवीएनएल निदेशक मण्डल के सदस्य गणेश दत्त, उपायुक्त शिमला रोहन ठाकुर, पुलिस अधीक्षक डी.डब्ल्यू नेगी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

# संजौली चौक से आईजीएमसी गेट तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा

**शिमला/शैल।** प्रदेश सरकार ने शिमला के संजौली चौक से इंदिरा गांधी चिकित्सालय के गेट तक वाहनों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है जबकि अस्पताल के गेट से आगे आर्थो वार्ड के लिए जाने वाला निचला सड़क मार्ग प्रतिबन्धित रहेगा।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आपात स्थिति में इंदिरा गांधी चिकित्सालय आने वाले मरीजों की सुविधा के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने शिमला रोड यूज़र एण्ड पैडिस्टेरियन अधिनियम, 2007 में संशोधन कर जनहित में यह निर्णय लिया है। प्रतिबंधित मार्ग होने के कारण ईलाज के लिए यहां आने वाले मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

उन्होंने कहा कि ऑकलैंड हाउस स्कूल से होटल व्हाईट (लक्कड़ बाजार) प्रतिबन्धित मार्ग के स्थान पर सील्ड रोड घोषित किया है।

# चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में 17 करोड़ की परियोजनाएं लोकार्पित

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऊना जिला के

चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में 10.09 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाले बूही से खुरवां सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने 4.44 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली कटौहर खड्ड से कुठेड़ा खेरला सम्पर्क सड़क का भी शिलान्यास किया, जिसके निर्माण से 12 बस्तियों के आठ हजार से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नन्दपुर में 58 लाख रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त खण्ड और कटौहर खुर्द में निजी क्षेत्र में गुरूकुल अन्तरराष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक का शुभारम्भ किया। उन्होंने अम्ब में 51 लाख रुपये की लागत से निर्मित उप-पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं आवास भवन तथा 1.24 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित महाराणा प्रताप राजकीय डिग्री महाविद्यालय के आवासीय परिसर का भी उद्घाटन किया।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने भरवांई चौक में 21 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्रवेश द्वार का भी उद्घाटन किया, जिसका नामकरण श्री माता छिन्न मस्तिका (शहीद अमोल कालिया) प्रवेश द्वार रखा गया है।

# डाउनलोड़ आधार की ब्लैक एण्ड व्हाईट प्रति पूरी तरह वैध

**शिमला/शैल।** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों से ऐसी संस्थाओं से सावधान रहने को कहा है, जो अपने निहित स्वार्थो के लिए प्लास्टिक कार्ड या स्मार्ट कार्ड के नाम पर आधार प्रिंट करने के लिए 50 से 200 रुपये वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधार पत्र या इसका कटा हुआ भाग या साधारण कागज पर छपा हुआ आधार पूरी तरह से वैध है। उन्होंने कहा कि कुछ संस्थाएं आधार लैमिनेट करने के लिए भी काफी अधिक कीमत वसूल रहे हैं।

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक एवं मिशन निदेशक डा. अजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि आधार कार्ड या इंटरनेट से डाउनलोड किया गया आधार जो साधारण कागज पर छपा हो पूरी तरह से सभी उपयोग के लिए वैध है। उन्होंने कहा कि यदि उसे लैमिनेट करवाने या पैसा देकर तथाकथित स्मार्ट कार्ड हासिल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का आधार कार्ड गुम हो जाता है तो वह https://eaadhaar.uidai.gov.in/ से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डाउनलोड आधार की ब्लैक एण्ड व्हाईट प्रति ठीक उसी तरह वैध है, जैसे कि मूल आधार पत्र जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भेजा जाता है। ऐसे में इसे लैमिनेट करवाया जाए या प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट करवाए जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।

पाण्डेय ने कहा कि कोई व्यक्ति अपना आधार कार्ड लैमिनेट कराने या प्लास्टिक कार्ड पर आधार प्रिंट कराने के लिए किसी अनाधिकृत एजेंसी के साथ साझा नहीं करें।

उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे, ई-बे, फिलपकार्ट, अमेजॉन आदि को यह सूचित किया जाता है कि वे अपने प्रतिनिधियों को लोगों से उनके आधार कार्ड या आधार में दर्ज सूचना एकत्र कर आधार कार्ड प्रिंट करने से मना करें। क्योंकि इस तरह की जानकारी अनाधिकृत रूप से आधार कार्ड या प्रिंट लेना या इन कामों में किसी भी प्रकार से मदद पहुंचाना भारतीय दण्ड संहिता एवं आधार एक्ट 2016 के खण्ड-VI के तहत अपराध की श्रेणी में आयेगा, जिसमें कैद की सजा भी हो सकती है।

# 21 अप्रैल मनाया जाएगा सिविल सर्विसिज डे

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश में 21 अप्रैल, 2016 को सिविल सर्विसिज डे आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासनिक सुधार सचिव पूर्णिमा चौहान ने कहा कि पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुशासन के मुख्य तत्व है, जबकि सुशासन मानव विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की मुख्य शर्त है।

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता व जवाबदेही आपस में अभिन्न अंग हैं और परदर्शिता के बिना कोई जवाबदेही नहीं रहती। इस प्रकार जवाबदेही तय होने के बिना पारदर्शिता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इन दोनों तत्वों से ही सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों में प्रभावी और कुशल प्रबन्धन संभव है।

पूर्णिमा चौहान ने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्य कायक्रमों पर परिचर्चा के अतिरिक्त विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर गांव, पंचायत, खण्ड व जिला स्तर पर सुशासन यात्रा भी आयोजित की जाएगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

# राष्ट्र हित में नहीं विभाजक राजनीति:वीरभद्र सिंह

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और जो लोग धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं वे देश के हितैशी नहीं हैं। वह ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अम्ब में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता धर्म, जाति और भाषा के आधार पर पक्षपात की अनुमति नहीं देती। यह देखा गया है कि कुछ लोग देश में विभाजक राजनीति कर रहे हैं और उन्हें इससे बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति किसी भी मायने में देश हित में नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म, जाति और क्षेत्र की राजनीति में विश्वास नहीं रखती और पार्टी के लिए समूचा भारत एक है, जिसमें हर नागरिक को अपने धर्म का पालन का अधिकार है, क्योंकि इस देश में सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज के दौर के भाजपा नेताओं से भिन्न थे। उन्होंने खेद जताया कि राजनीति अपने सबसे निचले स्तर पर जा पहुंची है और अच्छे कार्यों की सराहना के बजाए दोषारोपण की राजनीति की जा रही है।

उन्होंने कहा कि अम्ब में विकास को तेजी दी गई है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग खुली आंखों से इसे देख नहीं पा रहे हैं और केवल आलोचना के लिए आलोचना करते फिरते हैं। ऐसे लोग कभी भी प्रदेश के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विकास का आदर्श राज्य बनाने के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है और सरकार की कोशिश है कि हर गांव को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 1000 से अधिक विद्यालय खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए हैं। इसके अलावा 24 आईटीआई, 2 इंजीनियरिंग कालेज और 29 महाविद्यालय खोले गए हैं। भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस सरकार ने बहुत शिक्षण संस्थान खोल दिए हैं लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ये संस्थान प्रदेश के लिए भावी निवेश है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 34500 किलोमीटर सड़कें हैं और पिछले तीन वर्षों में 1366 नई वाहन योग्य सड़कें और 134 पुलों का निर्माण किया गया। इस दौरान 255 गावों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया और हमीरपुर, चंबा और नाहन में तीन मेडिकल कॉलेज तथा मंडी में आईआईटी, बिलासपुर में एम्स और धौलाकुआं में आईआईएम खोले जा रहे हैं।

उन्होंने इस अवसर पर आयोजित समारोह में बाबा साहिब भीमराव अंबेदकर को पुष्पांजलि भेंट की और देश के लिए उनके योगदान की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने अम्ब में संयुक्त कार्यालय परिसर और लड़कियों के लिए छात्रावास, चारडू पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल का दर्जा देने, आयुर्वेदिक औषधालय तलमेड़ा को स्तरोन्नत कर आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने और करलूही मथैड खड्ड पर पुल का निर्माण करने की घोषणाएं की। उन्होंने मारड़ी क्षेत्र के लिए अलग जल विरतण योजना और अपर टकराला और खरोटा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने, राजकीय कन्या माध्यमिक पाठशाला अम्ब को उच्च विद्यालय और अलेहड़, प्रंब और दिलवां राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की। उन्होंने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में 50 हैंडपंप लगाने, ग्राम पंचायत अम्ब के अणु में और कटोहर कलां में टयूब वैल लगाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटोहर खुर्द को स्टाफ सहित अपने नियंत्रण में लेगी।

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने अम्ब निर्वाचन क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अम्ब उपमण्डल में संयुक्त कार्यालय परिसर, चारडू प्राथमिक कार्यालय और छात्राओं के लिए अम्ब स्थित माध्यमिक पाठशाला को स्तरोन्नत करने सहित क्षेत्र की अन्य मागें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। उन्होंने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक विकासात्मक परियोजनाएं देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

# हिमाचल HC को मिले चार नये जज

**शिमला/शैल।** हिमाचल हाईकोर्ट में एक ही दिन में चार जजों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाने का रिकार्ड बन गया है। संभवत:ये पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में चार जजों को शपथ दिलाई गई हो।

हिमाचल हाईकोर्ट में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक सिंह ठाकुर, एडवोकेट अजय मोहन गोयल को जज की शपथ दिलाई गई जबकि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंद्र भूषण बारोवालिया और एडवोकेट संदीप शर्मा को अतिरिक्त जज की शपथ दिलाई गई।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने एक सादे लेकिन गरिमामयपूर्ण समारोह में इन चारों जजों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का संचालन रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल राजीव भारद्वाज ने किया व राष्ट्रपति इन इन चारों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति की ओर से भेजा गया वारंट ऑफ अप्वाइंटमेंट पढ़ा।

इस मौके पर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय करोल, जस्टिस राजीव शर्मा, जस्टिस धर्मचंद चौधरी, जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान, जस्टिस पी एस राणा और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने शिरकत की। इनके अलावा यूपीए सरकार में मंत्री रहे व हिमाचल से राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा, वीरभद्र सिंह केबिनेट में कानून मंत्री कौल सिंह ठाकुर के अलावा कई विधायक पूर्व जज व गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की।

# राजनीति से विदा लेने का कोई विचार नहीं:विद्या स्टोक्स

**शिमला/शैल।** सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स अस्वस्थता के कारण कुछ समय के लिए अवकाश लेना चाहतीं हैं खबर पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है तथा विभाग को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाने से यह कयास लगाना कि वह राजनीति से विदा लेना चाहती है, पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार करने वालों को सचेत करते हुए कहा कि उनके विभाग तथा राजनीतिक जीवन में उनके परिवार का कोई भी दखल नही है और वह हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि वह गत 50 वर्षों से राजनीति में हैं तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र व प्रदेश के लोगों की सेवा पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ कर रही हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि अभी उनका राजनीति से विदा लेने का कोई भी विचार नहीं है। स्टोक्स ने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए समय-समय पर विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। जहां तक शिमला शहर में पानी की आपूर्ति का सवाल है नगर निगम को प्रतिदिन 33 से 35 एमएलडी पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करके शहर को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।

# 'मुद्रा' देश में कौशल विकास को नया आयाम:अनुराग ठाकुर

**शिमला/शैल।** हमीरपुर स्थित बचत भवन में केंद्र सरकार द्वारा जारी 'मुद्रा' योजना पर विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बुद्धिजीवियों तथा अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर हमीरपुर लोकसभा सांसद और भाजयुमो अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य तौर पर पधारे तथा वर्तमान भारत में हो रहें कौशल विकास तथा उद्यमशीलता के क्षेत्र में हो रही नित नई प्रगृति पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने विगत दो वर्षों में उद्यमशीलता में हुए अद्वितीय व सकरात्मक बदलावों पर प्रसन्नता जाहिर की।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि, यूथ को लेकर हमारा विज़न ऐजुकेट, इमम्लाई है । 'मुद्रा' जैसी योजना के लागू होने से हम अपने युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों, कारीगारों को कुशल बना पाएगें, जिससे न केवल वह रोजगार परक शिक्षण पाकर प्रशिक्षित हो सकेंगे वरन् स्वयं रोजगार शुरू करने के साथ ही अन्यों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम होंगे। 'मुद्रा' योजना के सुविधा प्राप्त कर अपना नाम कमाने तथा सफलता प्राप्त करने वाले लोगों की अनेकों कहानियां सुनने को मिलती है, जो यह अहसास दिलाती है की इस तरह की योजनाएं हमारे समाज व राष्ट्र के प्रगृति की राह पर आगे बढ़ा रही है। यह अवसर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान ही उपलब्ध हो पाएं है, जो आज हमारे युवाओं को प्रोत्साहित कर रहें है।

'मुद्रा' योजना की विशेषताएं बताते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि, इस योजना के तहत अपने उद्दम को शुरू करने के लिए 50 हजार से लेकर 10 लाख तक का ऋण बिना किसी जमानत या गारंटी के लिया जा सकता है जो किसी भी स्थानिय वाणिज्यिक बैंक में उपलब्ध होगा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पनपने वाले लद्यु उद्योग व व्यापार जैसे दुकानदार, फल व सब्जी विक्रेता, छोटी विनिर्माण ईकाइयां, मरम्मत करने वाली दुकानें, कारीगर, मशीन ऑपरेटर, छोटी फर्म तथा अन्य भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। मोदी जी का यह प्रयास उन लोगों के लिए कालजयी साबित हो रहा है, जो वित्त तथा संसाधानों के अभाव में अपनी उद्यमी सोच को मुकाम नहीं दे पा रहे थे।

कार्यक्रम में शामिल श्रोताओं की जिज्ञासाओं को शांत करने हुए ठाकुर ने बताया, कोई भी भारतीय नागरिक, अपने समस्त नीजि ब्यौरे के आधार पर ऋण लेने के लिए अधिकृत है। किसी भी आय सजृन गतिविधियों के लिए कोई भी आम आदमी बेहिचक ऋण प्राप्त कर स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकता है। 'मुद्राह योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने का आधार कोई भी नया या पहले से बना हुआ उद्यम जो उत्पादन, निर्माण, सेवा या व्यापार जैसे कार्यों में संलिप्त हो बन सकता है। जो भी कारीगर किसी रचानात्मक सोच के साथ कोई कार्य शुरू करना चाहता है या अपने कार्य को सजृनशीलता के जरिए नया आयाम दिलाना चाहता हो तो वह अपने नजदीकी बैंक में जाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है।

# आयुर्वेद मंत्री शामिल हुए अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी में

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में आयुर्वेद के साथ -साथ होम्योपैथी को भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार ने सभी 32 आयुर्वेदिक अस्पतालों में होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह ने विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी में दी।

संगोष्ठी का शुभारम्भ केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद यंसो नायक ने किया। इस दौरान नेपाल व बंगलादेश के स्वास्थ्य मंत्री सहित देश के 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित थे।

कर्ण सिंह ने कहा कि हालांकि प्रदेश में आयुर्वेद का अधिक प्रचलन है परन्तु अब प्रदेश के लोगों में होम्योपैथिक की ओर भी रूझान बढ़ रहा है। इसी के मध्यनजर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला मुख्यालय में में 'वैलनेस सैंटर' चलाए जाएंगे जहां पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जोड़ो की बीमारियों और प्रोस्टेट संबंधी रोगों से लेकर ओपीडी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में सार्वजनिक उपक्रमों जैसे पथ परिवहन निगम, एचपीसीएल और एचपीटीडीसी आदि के परिसरों में होम्योपैथिक चिकित्सा, जांच शिविर लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कर्ण सिंह ने कार्यक्रम के उपरान्त केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यंसो नायक से भी भेंट कर के सरकार के पास लम्बित प्रदेश की विभिन्न लम्बित परियोजनाओं पर चर्चा की। उन्होने केन्द्रीय मंत्री को प्रदेश आने का न्यौता भी दिया।

कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं..... चाणक्य

सम्पादकीय

# महामहिम राज्यपाल की एक और पहल

प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आर्चाय डा. देवव्रत प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर और इस नाते इन संस्थनों के सर्वोच्च हैं। महामहिम वैदिक संस्कारों और सस्कृति के लिये कितने प्रतिबद्ध है इसकी झलक पिछले दिनों राजभवन में स्थायी यज्ञशाला के निर्माण से सामने आ गयी है। राजभवन में स्थायी रूप से यज्ञशाला की स्थापना को लेकर शैल का महामहिम से मतभेद है और मतभेद के पक्षों को हम अपने पाठकों के सामने रख भी चुकें हैं। लेकिन राज्यपाल द्वारा राजभवन में प्रतिदिन वैदिक हवन किये जीने पर हमारा कोई एतराज नही है। बल्कि इसके लिये वह प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं कि वह एक सच्चे और प्रतिबद्ध आर्यसमाजी की मान्यताओं का अपने निजि जीवन मे निर्वहन कर रहें हैं। लेकिन वह राज्यपाल के रूप में प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं और इस नाते उन्हे ऐसी परम्पराओं की स्थायी स्थापना से भी परहेज करना होगा जिनका निर्वहन करना उनके बाद आने वाले राज्यपालों के लिये कठिन और विवादित न बन जाये।

लेकिन अब राज्यपाल ने सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उनके अधीन आने वाले अन्य शैक्षणिक संस्थानों के दीक्षांत समारोहों के लिये अब तक चली आ रही ड्रेस कोड को बदलने का आग्रह किया है। राज्यपाल के इस पत्र के कारण ही टांडा मैडिकल कालिज दीक्षांत समारोह कुछ दिनों के लिये स्थगित किया गया है। राज्यपाल के इस आग्रह पर हिमाचल विश्वविद्यालय ने नया ड्रेस कोड सुझाने के लिये एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने लम्बे चौड़े विचार विमर्श के बाद विशुद्ध हिमाचली परिवेश पर आधारित एक ड्रेस कोड तैयार करके ई सी के सामने रखा है। ई सी ने इस ड्रेस कोड को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को भेज दिया है। इस नये प्रस्तावित ड्रेस कोड पर सरकार क्या फैसला लेती है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन राज्यपाल की यही पहल स्वागत योग्य है और इसे पूरा समर्थन मिलना चाहिये। अब तक चला आ रहा ड्रेस कोड निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का प्रतीक नही है। ऐसे बदलाव ऐसे ही शैक्षणिक स्तरों पर आने चाहिये। बल्कि ऐसा ही कोई ड्रेस कोड न्यायापालिका के लिये भी सुझाया जाना चाहिये। राज्यपाल की इस पहल का समर्थन देते हुए विश्वहिन्दु परिषद ने एक कदम आगे जाते हुए प्रदेश के कई नगरों के नाम बदलने का भी सुझाव दिया हें परिषद का सुझाव है कि ब्रिटिश शासन का याद दिलाने वाले सभी प्रतीकों को बदल दिया जाना चाहिये।

विश्वहिन्दु परिषद का यह सुझाव स्वागत योग्य है लेकिन इस सुझाव के साथ ही एक सवाल भी खड़ा होता हैं आज हेरिटेज के नाम पर अंग्रेजी शासन की पहचान इन चुके बहुत सारे पुराने भवनों और अन्य समारकों को हैरिटेज के नाम पर संरक्षित रखने के प्रयास किये जा रहे हैं। बल्कि हैरिटेज के नाम पर मिल रहे धन के लालच में ज्यादा भवनों के संरक्षण का काम चल रहा है। संरक्षण के इस काम में भारत सरकार एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर राज्य सरकार को धन उपलब्ध करवा रही है। इस परिदृश्य में यह सवाल उठता है कि एक ओर हम अंग्रेजी शासन के दिये हुए नामों को बदलने का प्रयास कर रहें हैं और इस प्रयास में हम अपनी सस्कृति के नाम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी शासन का प्रतीक बन चुकी पुरानी इमारतों को कर्ज लेकर संरक्षित करने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह हमारी सोच खोखले पन को नही उजागर करना है। यदि हम सही मायनों में आने वाली पीढ़ीयों को अंग्रेजी शासन के प्रतीकों से मुक्त रखना चाहतें हैं तो उसके लिये नाम बदलने से पहले कर्ज लेकर गुलामी के प्रतीकों को सहजने और संरक्षित रखने के कदमों पर विचार करना होगा।

# सामाजिक सेवा के कई मानकों में हिमाचल कई राज्यों से आगे

प्रदेश सरकार ने समाज के सभी वर्गो विशेषकर आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गो के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इन वर्गो को मुख्यधारा में शामिल करने तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिये वर्तमान राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अनुसूचित क्षेत्रों का समग्र विकास तथा जन जातीय लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जन जातीय उप-योजना आरम्भ की गई है जिसके लिये वर्ष 2016-17 में 468 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, गद्दी, गोरखा, गुजर, लबाणा अनुचित जाति कल्याण बोर्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, कबीरपंथी कल्याण बोर्ड, विश्वकर्मी समाज कल्याण बोर्ड, रविदास कल्याण बोर्ड, कोली कल्याण बोर्ड व बाल्मिकी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है ताकि इन वर्गो के कल्याण के लिये आरम्भ की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा सके।

बृद्धजनों, विधवाओं तथा शारीरिक रुप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक तौर पर सम्बलता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षो में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रुपये मासिक से बढ़ाकर 650 रुपये प्रति माह किया गया है। 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों व 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के व्यक्ति जो अन्य कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, की मासिक पेंशन को 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है।

45 वर्ष से कम आयु की विधवा माताओं की मासिक पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह किया गया है। गत तीन वर्षो के दौरान वर्तमान प्रदेश सरकार ने 57 हजार नये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माममले स्वीकृत किये हैं तथा वर्ष 2016 में 24000 नये पेंशन मामलों को स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष से आधार नम्बर आधारित डाकखाना खाता योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। योजना के अन्तर्गत पेंशनरों को घर बैठे ही पेंशन प्राप्त हो सकेगी। आरम्भ में इस योजना को पायलट आधार पर कुल्लू व मण्डी जिलों में लागू किया जाएगा।

समाज में छूआछूत जैसी बुराई को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के ऐसे युवक व युवतियां, जिन्होंने अनुसूचित जाति के युवक या युवति से विवाह किया है, को 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है। 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले युवक व युवतियों को विवाह के लिये दिये जाने वाले विवाह अनुदान को भी 15000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये किया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 35000 रुपये से कम है तथा जिनके नाम पर राजस्व रिकार्ड में भूमि उपलब्ध है और जिनका अपना कोई मकान नहीं है, को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गृह निर्माण के लिये 75000 रुपये के गृह अनुदान का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को घर की मुरम्मत के लिये 25000 रुपये की राशि बतौर अनुदान प्रदान की जा रही है।

सफाई कर्मचारी व सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट में कार्यरत कर्मियों को जीवन बीमा के अन्तर्गत लाया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य ऐसे गांवों जहां इन वर्गो की आबादी 40 प्रतिशत या कुल जनसंख्या 200 से अधिक है, के समग्र विकास व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये प्रदेश में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दो ऐसे गांवों का चयन करके इन गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत गत वित्त वर्ष के दौरान 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

हिमाचल प्रदेश सामाजिक सेवा क्षेत्र में कई मानकों में देश के अन्य राज्यों से आगे हैं जो इस दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सार्थकता को दर्शाते हैं।

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

# किसानों के हित में उठाया गया एक कदम

भारत सरकार द्वारा 'भूमिपुत्रों' के हित में जारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने तथा इनसे मिलने वाली सुविधाओं व संरक्षण से किसानों को रूबरु कराने के उद्देश्य के साथ हमीरपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक दिवसीय 'किसान मेले' का आयोजन किया गया। किसानों से जुड़ने एवं उनकी समस्याओं को सांझा करने के लिए हमीरपुर लोकसभा सांसद और भाजयुमो अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने भी किसान मेले में शिरकत की तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कृषि हितकारी योजनाओं से किसानों को अवगत कराया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित मेले में हाल ही में शुरू हुई 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीट व रोगों से फसलों का खराब होना एवं अन्य विपरीत स्थितियों के अंतर्गत किसानो को मिलने वाली वित्तीय सहायता व बीमा कवरेज़ की ओर से मिलने वाले फायदों से अवगत कराया गया।

अनुराग ठाकुर ने कहा, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित में उठाए गए महत्तवपूर्ण कदमों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत राजग सरकार फसल बीमा के लिए अब तक की सबसे बड़ा अंशदान कर रही है जो भारत के इतिहास में अबतक किसी सरकार की ओर से नहीं किया गया हैं। इस ऐवज़ में किसानों को बेहद मामूली दर पर प्रीमियम भुगतान करना होगा, जिससे किसान परिवारों पर वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा। पिछली फसल योजनाओं को सिरे से नकारते हुए इस बीमा योजना में हर प्रकार के मौसम तथा ईलाकों में समाज दर लागू की गई है जिसके अनुरूप हर प्रकार के खाद्यान्न, तिलहन व दालों पर हर मौसम के हिसाब के प्रीमियम भुगतान करना होगा। 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अंतर्गत आगामी खरीफ फसलों के लिए मात्र 2 प्रतिशत की प्रीमियम दर सुनिश्चित की गई है तथा इसी प्रकार अन्य मौसमों की दरों को भी किसानों की सुविधानुसार ही तय किया जाना है।

उन्होने बताया कि, काफी समय से लबित किसान अनुकूल उपायों को भी इस योजना में शामिल किया गया हैं। एवंम् इसमें किसानों को फसलों पर पूर्ण बीमा कवर दिया जाएगा व तय बीमा राशि में भी किसी नियम व शर्त के नाम पर कोई कटौती नहीं की जाएगी। बाढ़ की स्थिति को पहली बार योजना में शामिल किया जा रहा है तथा इसके साथ ही कटाई के बाद चक्रवात व बेमौसम बरसात से पैदा होने वाले नुकसान को भरपाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कवर किया जाएगा। मोबाइल व सेटेलाईट की तकनीकी सहायता से बीमा एजेंसियाँ फसल व नुकसान का सही आकलन करने तथा त्वरित प्रबंधन कर समस्याओं का निपटान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होने कहा, कि राजग सरकार किसानों का दर्द भलिभांति समझती है की मौसम या अन्य कारणों से फसलों के खराब होने पर एक किसान कितना असहाय हो जाता है। यह योजना किसानों के हितों को सुरक्षित रखती है तथा जिसका लाभ स्थानिय वाणिज्यिक बैंकों से उठाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के संदर्भ में सूचना अप्रैल माह के अंत तक संप्रेशित करने की उम्मीद की जा रही है जिससे मक्की तथा धान की फसलों को भी 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' में शामिल किया जा सकें। अन्य फसलों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत सम्मलित किया जा सकता है तथा किसी भी सदेह या जानकारी के लिए किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र का रूख कर सकते हैं।

# डा. भीमराव अम्बेडकर: जीवन दर्शन

डा. बाबासाहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरेक में गुजारे। सन् 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी डयूटी पर थे, 12 बजे यहीं भीमराव का जन्म हुआ। कबीर पंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा।

बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बंबई के एलफिन्स्टोन स्कूल से वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीण हुए। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरुप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक ''बुद्ध चरित्र'' उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुये। बी.ए. के बाद एम.ए. के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुये। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध ''प्राचीन भारत का वाणिज्य'' लिखा था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की, उनके पीएच.डी. शोध का विषय था, ''ब्रिटिश भारत में प्रातीय वित्त का विकेन्द्रीकरण''। फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था अतः वे ब्रिटेन होते हुये लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल सांइस में एम.एससी. और डी. एस सी. तथा ग्रेज इन नामक विधि संस्थान में बार-एट-लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सब से पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बडौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराये पर रखने को कोई तैयार नही होने की गंभीर समस्या से वह कुछ हफ्तों के बाद ही मुंबई वापस आये। वहां परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाईम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डा. अम्बेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु साउथबरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। उन्होंने मूक और अशिक्षित तथा निर्धन लोगों को जागरुक बनाने के लिये मूकनायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकायें संपादित कीं और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिये वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एम. एस सी., डी. एस सी., और बैरिस्टर की उपाधियाँ प्राप्त की। उनके एम. एस सी. का शोध विषय ''साम्राज्यीय वित्त के प्राप्तीय विकेन्द्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' तथा उनके डी.एससी उपाधि का विषय ''रूपये की समस्या उसका उद्भव और उपाय'' और ''भारतीय चलन और बैकिंग का इतिहास'' था। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एल. एलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी. लिट्. की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर वैश्विक युवाओं के लिये प्रेरणा बन गये क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डी.लिट्. आदि कुल 26 उपाधियां जुडी है।

भारत रत्न डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं :-

☞ मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिपाति, ऊँच-नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन (1927), महाड सत्याग्रह (वर्ष 1928), नाशिक सत्याग्रह (वर्ष 1930), येवला की गर्जना (वर्ष 1935) जैसे आंदोलन चलाये।

☞ बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक पांच साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया।

☞ कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज (स्था. 1924) के जरिये अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन् 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी के जरिए मुम्बई में सिद्रार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिन्द महाविद्यालय की स्थापना की। बौद्धिक, वैज्ञानिक, प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ ''द बुद्धा एण्ड हिज धम्मा'' के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया।

☞ जात पांत तोडक मंडल (वर्ष 1937) लाहौर, के अधिवेशन के लिये तैयार अपने अभिभाषण को ''जातिभेद निर्मूलन'' नामक उनके ग्रंथ ने भारतीय समाज को धर्मग्रंथों में व्याप्त मिथ्या, अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया।

☞ हिन्दू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए वह जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे।

☞ भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ ''रूपये की समस्या-उसका उदभव तथा उपाय'' और ''भारतीय चलन व बैकिंग का इतिहास'' ग्रन्थों तथा ''हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य'' के आधार पर 1935 में हुई।

☞ उनके दूसरे शोध ग्रंथ ''ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास'' के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई।

☞ कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया।

☞ औद्योगिक विकास, जलसंचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता और आय बढाना, सामूहिक तथा सहकारिता से प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वप्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना।

☞ सन 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंधन की बहुउद्देशीय उपयुक्तता को परख कर देश के लिये जलनीति तथा औद्योगिकरण की बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियां जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुण्ड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केन्द्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किये।

☞ सन 1944 में प्रस्तावित केन्द्रिय जल मार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वाइसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े बांधोंवाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया।

☞ उन्होने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का नेटवर्क ढांचा प्रस्तुत किया।

☞ उन्होंने जल प्रबंधन तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रुप से प्रयुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया।

☞ उन्होंने समता, समानता, बन्धुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 02 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंप कर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्दति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया।

☞ वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिन्दू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया।

☞ वर्ष 1955 में अपना ग्रंथ ''भाषाई राज्यों पर विचार'' प्रकाशित कर आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे-छोटे और प्रबंधान योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 वर्षों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ।

☞ निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिये समान नागरिक हिन्दू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बडे आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, काम्पट्रोलर व ऑडीटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई।

☞ प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरुप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया।

☞ विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान द्वारा सुनिश्चित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिकता जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया।

☞ सहकारी और सामूहिक खेती के साथ-साथ उपलब्ध जमीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने तथा सार्वजनिक प्राथमिक उद्यमों यथा बैकिंग, बीमा आदि उपक्रमों को राज्य नियंत्रण में रखने की पुरजोर सिफारिश की तथा कृषि की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्होने औद्योगीकरण की सिफारिश की।

☞ वायसराय की कौंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की 12 घण्टे से घटाकर 8 घण्टे कार्य-समय, समान कार्य समान वेतन, प्रसूति अवकाश, सवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाना, मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 के मुम्बई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से उन्होंने 15 सीटें जीतीं।

☞ कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य, अवकाश, अपंग-सहायता, कार्य करते समय आकस्मिक घटना से हुये नुकसान की भरपाई करने और अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया।

☞ कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा, कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा माईका खनन में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा संशोधन विधेयक सन 1944 में पारित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

☞ सन 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति की नींव डाली तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरूआत की जो अभी निरंतर जारी है, जिसमें प्रतिवर्ष मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उसके निराकरण के प्रयास किये जाते है।

☞ श्रम कल्याण निधि के क्रियान्वयन हेतु सलाहकार समिति बनाकर उसे जनवरी 1944 में अंजाम दिया।

☞ भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि श्रम की दशा, दैनिक मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमापूंजी तथा अन्य निधि व श्रम विवाद से संबंधित नियम सम्भव कर दिया।

☞ नवंबर 8,1943 को उन्होंने 1926 से लंबित भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू कर दिया।

☞ स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विधिक हडताल के अधिनियमों को श्रमिकों के कल्याणार्थ निर्माण किया। पसूका

# सतत् विकास की राह पर अग्रसर हिमाचल

**वीरभद्र सिंह**
**मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश**

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश ने आज अपने अस्तित्व के 68 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस पावन अवसर पर मैं हमारे सुन्दर पहाड़ी प्रदेश के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा उनके सुखमय एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं, हिमाचल प्रदेश को एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील एवं समृद्ध राज्य बनाने में रचनात्मक सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ।

15 अप्रैल, 1948 को ग़रीबी व पिछड़ेपन की एक धूमिल तस्वीर से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद हिमाचल प्रदेश सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश का अग्रणी पर्वतीय राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, जो वर्ष 1948 में मात्र 240 रुपये थी, आज बढ़कर 1,30,067 रुपये हो गई है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद 26 करोड़ रुपये से बढ़कर 82,585 करोड़ रुपये हो गया है। साक्षरता दर 7 प्रतिशत से बढ़कर 82.80 प्रतिशत हो गई है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1948 के 2 लाख मीट्रिक टन की तुलना में बढ़कर 16 लाख मीट्रिक टन तथा फल उत्पादन 1200 मीट्रिक टन से बढ़कर 8.54 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, रोज़गार सृजन, मैक्रो इकोनामी तथा पूंजी निवेश में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेशवासियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में व्यापक सुधार आया है।

प्रदेश में हुए इस विकास का श्रेय राज्य के मेहनतकश लोगों तथा विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई स्थिर सरकारों को जाता है। हम इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार को श्रद्धासुमन अर्पित करते है, जिन्होंने प्रदेश के शैशवकाल में इसके विकास की ठोस नींव रखी। प्रदेशवासियों के स्नेह एवं आशीर्वाद से मुझे 6 बार मुख्य मंत्री के रूप में 20 वर्षों से भी अधिक समय तक प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

25 दिसम्बर, 2012 को हिमाचल प्रदेश की बागडोर सम्भालने के दिन से वर्तमान प्रदेश सरकार के सभी प्रयास राज्य के समान एवं सतत् विकास पर केन्द्रित रहे है तथा आम आदमी का कल्याण वर्तमान सरकार की नीतियों का केन्द्र बिन्दु है।

**सामाजिक सुरक्षा**

प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 450 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये प्रति माह किया है तथा गत तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के 57,000 नए लम्बित मामले स्वीकृत किए गए है। वर्तमान में 3.63 लाख पात्र विधवाओं, वृद्धों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है। इस वर्ष प्रथम अप्रैल से 24000 लम्बित पैंशन मामलों को स्वीकृत किया गया है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह किया गया है। एक या एक से अधिक बच्चों वाली 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह किया गया है। मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सहायता राशि को 21000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये किया गया है।

'इंदिरा आवास योजना' के अन्तर्गत 8538.65 लाख रुपये की लागत से 13652 आवासों तथा 'राजीव आवास योजना' के अन्तर्गत 2280.87 लाख रुपये की लागत से 2141 आवासों का निर्माण किया गया। सरकार द्वारा इस वर्ष से 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर 'मुख्य मंत्री आवास योजना' आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवारों को आवास निर्माण के लिए 75 हज़ार रुपये का उपदान दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत 97 करोड़ रुपये की लागत से 12000 आवासों का निर्माण किया जाएगा।

**खाद्य सुरक्षा**

प्रदेश के 37 लाख लोगों को 'राजीव गान्धी अन्न योजना' के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्हें 2 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त उन्हें खाद्य तेल, दालें तथा नमक भी प्रदान किया जा रहा है। सभी बी.पी.एल. परिवारों को प्रति माह 35 किलो राशन प्रदान किया जा रहा है। राज्य खाद्य उप-दान योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में 667 करोड़ रुपये खर्च किए गए है जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

**रोज़गार**

हमारी सरकार ने गत तीन वर्षों में सरकारी तथा निजी क्षेत्र में 60 हज़ार से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया है। सरकारी क्षेत्र में ही 27000 से अधिक लोगों को रोज़गार दिया गया है, जबकि आने वाले दो वर्षों में हम अकेले सरकारी क्षेत्र में 25000 लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उच्च शिक्षा विभाग में इस अवधि के दौरान 3237 नियुक्तियां की गई तथा 4527 पदों पर पदोन्नति दी गई। इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में इस अवधि के दौरान लगभग 5000 नियुक्तियां की गई। प्रदेश में नये सृजित अथवा स्तरोन्नत शिक्षण संस्थानों के लिए 3355 पद सृजित किए गए है जबकि प्रदेश के लिए स्वीकृत नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 1775 पद सृजित किए गए है। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों सहित विभिन्न श्रेणियों के 2458 पद भरे गए है जबकि 7503 आशा वर्करों की नियुक्ति भी की गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 1300 से अधिक पद भरे गए है।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत 1474.34 करोड़ रुपये व्यय कर 708.63 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।

प्रदेश में महत्त्वाकांक्षी 'कौशल विकास भत्ता योजना' से अभी तक 1,07,887 युवा लाभान्वित हुए है, जिसके अन्तर्गत बेरोज़गार युवाओं को एक हज़ार रुपये तथा शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह का कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है।

**शिक्षा क्षेत्र**

प्रदेश में इस अवधि के दौरान एक हज़ार से अधिक स्कूल खोले गए अथवा उनका दर्जा बढ़ाया गया। इसके अलावा 24 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं दो इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले गए। प्रदेश के दूरदराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान कार्यकाल में 29 महाविद्यालय खोले गए। राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सरकारी स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में अत्याधुनिक अधोसंरचना एवं शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 30 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 'मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना' शुरु की गई है। इसके अलावा, 'मुख्य मंत्री ज्ञानदीप योजना' भी शुरु की गई है, जिसके अन्तर्गत सभी हिमाचली विद्यार्थियों को 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया। 'मुख्य मंत्री वर्दी योजना' के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क वर्दियां प्रदान की जा रही है। ऊना ज़िले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सिरमौर ज़िले में भारतीय प्रबन्धन संस्थान तथा शिमला में फाईन आर्ट कॉलेज खोला गया है। प्रदेश सरकार ने शिमला के समीप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

**स्वास्थ्य**

प्रदेश में 'हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना' शुरु की गई है, जिसके तहत ऐसे सभी व्यक्तियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान की जाएगी जो 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,' 'मुख्य मंत्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना' तथा अन्य किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के दायरे में नहीं आते है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 130 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान खोले गए। प्रदेश के हमीरपुर, चम्बा तथा सिरमौर ज़िलों में तीन मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे है तथा इनके लिए 1775 पद सृजित किए गए हैं। प्रदेश के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी स्वीकृत किया गया है, जिसे बिलासपुर ज़िले में खोला जाएगा।

**कृषि व बागवानी**

कृषि एवं बागवानी गतिविधियों के विविधीकरण तथा इन्हें जलवायु प्रतिरोधी बनाने के लिए सरकार द्वारा 111.19 करोड़ रुपये की 'डॉ. वाई. एस. परमार स्वरोज़गार योजना' तथा 154 करोड़ रुपये की 'राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना' कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश में किसानों की फसलों को बन्दरों, आवारा पशुओं तथा जंगली जानवरों से बचाने के लिए 'मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना' शुरु की गई है, जिसके तहत किसानों को अपने खेतों में बाड़ लगाने के लिए 60 प्रतिशत की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा पोषित 1115 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिससे बागानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

**सड़कें**

गत तीन वर्षों के दौरान प्रदेश में 1366 किलोमीटर नई सड़कों तथा 134 पुलों का निर्माण किया गया है। इस अवधि के दौरान 255 से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 532 करोड़ रुपये की लागत की 2267 किलोमीटर सड़कों की 241 विस्तृत परियोजना रिर्पोट भारत सरकार से स्वीकृत करवाई गई है। गत तीन वर्षों के दौरान 603 करोड़ रुपये की लागत से 2489 किलोमीटर की 378 परियोजनाएं पूरी कर दी गई है।

**पेयजल आपूर्ति**

इस अवधि के दौरान पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर 773 करोड़ रुपये खर्च किए गए है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत 6949 अतिरिक्त बस्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान की गई तथा जलाभाव वाले क्षेत्रों में 4890 हैंडपम्प स्थापित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान 400 करोड़ रुपये की लागत से 10586 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। ऊना ज़िले में 922 करोड़ रुपये की लागत से स्वां नदी तटीकरण परियोजना तथा कांगड़ा ज़िला में 180 करोड़ रुपये लागत की छौंछ खड्ड तटीकरण परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

**पर्यटन**

प्रदेश में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कांगड़ा ज़िले के बीड़-बिलिंग में पैरा-ग्लाईडिंग विश्व कप का आयोजन किया गया। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में मूलभूत अधोसंरचना तथा पर्यटन सुविधाओं के सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक से 570 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत करवाई गई है। प्रदेश की पिछड़ी पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयों को 10 वर्षों के लिए विलासिता कर में छूट दी गई है।

**औद्योगिक विकास**

प्रदेश सरकार राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए 'निमंत्रण से निवेश' को बढ़ावा दे रही है। मुम्बई, बैंगलुरु, अहमदाबाद तथा नई दिल्ली में 'इन्वेस्टर मीट' का आयोजन किया गया, जिससे कुल 4079 करोड़ रुपये निवेश की नई परियोजनाएं तथा 60 परियोजना विस्तार प्रस्ताव प्राप्त हुए है। ऊना ज़िले के पण्डोगा तथा कांगड़ा ज़िले के कन्दरोड़ी में क्रमश: 140 करोड़ तथा 122 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश में रोज़गार सृजन के लिए नये निवेश को त्वरित स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हिमाचल निवेश ब्यूरो की स्थापना की जा रही है। 100 से अधिक हिमाचलियों को रोज़गार प्रदान करने वाले उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में कम दामों पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। नये उद्योगों को भूमि खरीदने की रजिस्ट्री पर केवल तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क वसूला जाएगा। एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा इस अवधि के दौरान 11663 करोड़ रुपये निवेश की 219 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 22000 से अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।

**पंचायती राज/शहरी विकास**

पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों को धनराशि के विकेन्द्रीकरण के लिए समय पर संस्तुतियां देने के लिए पांचवें राज्य वित्तायोग का गठन किया गया है। 14वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप चालू वित्त वर्ष के दौरान पंचायतों को 306 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार द्वारा 130 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की है।

**ऊर्जा क्षेत्र**

हम वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अकेले सरकारी क्षेत्र में ही 265 मैगावाट अतिरिक्त क्षमता के दोहन के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार ने राज्य में ऊर्जा बचत के लिए एक वृहद् 'एल.ई.डी. प्रोत्साहन योजना' आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर एल.ई.डी. बल्ब प्रदान किए जा रहे है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को उपदानयुक्त दरों पर बिजली प्रदान करने के लिए 1080 करोड़ रुपये खर्च किए गए है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए 410 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

**परिवहन**

प्रदेश सरकार लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद तथा आरामदेह परिवहन सेवाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। इसके लिए राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 1231 नई बसें शामिल की गई है, जबकि 69 और बसें शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की सामान्य बसों में प्रदेश के भीतर किराये में 25 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

**कर्मचारी कल्याण**

दिहाड़ी को 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है। 31 मार्च, 2016 को 5 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों, 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले दिहाड़ीदारों को नियमित किया गया है तथा आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मियों को दिहाड़ीदार बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित सभी दिहाड़ीदारों, अंशकालिक कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं एवं मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को 'मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के अन्तर्गत लाया है। अनुबंध कर्मचारियों के पारिश्रमिक में ग्रेड-पे में पचास प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अंशकालिक जलवाहकों, जल रक्षकों, सिलाई अध्यापकों, ग्राम विद्या उपासकों, गृह रक्षकों तथा पंचायत चौकीदारों के मानदेय में भी आशातीत वृद्धि की गई है।

**जवाबदेह प्रशासन**

लोगों को पारदर्शी, जवाबदेह तथा समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों की 86 सेवाओं को 'लोक सेवा गारन्टी अधिनियम' के अन्तर्गत लाया गया है। लोगों की सुविधा के लिए इस वर्ष के अन्त तक 100 से अधिक सेवाओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने विभिन्न नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जहां कानूनी बाध्यता न हो, शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

स्थिरता, समृद्धि एवं विकास की कुंजी है। प्रदेश की कांग्रेस सरकारें स्थिरता, विकास एवं जन-कल्याण की पर्याय रही है। राज्य सरकार लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन प्रदान कर रही है। सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनाने के ध्येय से कार्य कर रही है। इस उददेश्य की पूर्ति के लिए मैं आप सभी के सहयोग की अपील करता हूं।

वीरभद्र सिंह
मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश

# 69वें हिमाचल दिवस

## के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई

हिमाचल सरकार आप की अपनी सरकार है। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों के सहयोग से हम विकास के नए आयाम स्थापित करने में कामयाब रहे हैं।

''चहुँमुखी विकास-सबका कल्याण'' हमारा ध्येय है। हम भविष्य में भी आप सब के सहयोग से निरन्तर आगे बढ़ते रहेंगे।

वीरभद्र सिंह
मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश

# सरकार का यही प्रयास फैले खुशियों का प्रकाश

**तीन वर्षों में सरकारी और निजी क्षेत्र में 60000 से अधिक व्यक्तियों को मिला रोज़गार**
**अगले दो वर्षों में केवल सरकारी क्षेत्र में मिलेगा 25000 व्यक्तियों को रोज़गार**

- दिहाड़ीदारों की दैनिक मजदूरी ₹180से बढ़ाकर ₹200 की।
- 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं की पैंशन ₹600 से बढ़ाकर ₹1200 प्रति माह की।
- 70% से अधिक विकलांगता वाले तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की पैंशन ₹1200 प्रति माह की।
- गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता ₹280 से बढ़ाकर ₹350 किया।
- नारी सेवा सदनों में रह रही महिलाओं को विवाह के समय दी जाने वाली अनुदान राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹51,000 की।
- कन्या भ्रूण हत्या की विश्वसनीय जानकारी देने वाले को अब ₹10,000के स्थान पर मिलेंगे ₹1,00,000।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत अनुदान राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹40,000 की।
- अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय ₹1700 से बढ़ाकर ₹1900 मासिक किया।
- सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय मासिक ₹2000 से बढ़ाकर ₹2300 किया।
- वाटर गार्डों का सहायता अनुदान प्रतिमाह ₹1350 से बढ़ाकर ₹1500 किया।
- पंचायत चौकीदार का सहायता अनुदान ₹1850 से बढ़ाकर ₹2050 प्रतिमाह किया।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

## वीरभद्र बनाम धूमल

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पिछले दिनों यह ब्यान दिया है कि इस बार वह धूमल की जमीनों की पैमाईश करवायेंगे। वह ऐसा इसलिये करने जा रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक धूमल ने आठ बार उनकी जमीनों की नपाई करवायी है। वीरभद्र के ब्यान का जबाव देते हुए धूमल ने कहा है कि उन्होने ऐसी कोई पैमाईश नहीं करवाई है और अगर ऐसा किया होता तो आज स्थितियां कुछ और ही होती। धूमल ने वीरभद्र को यह भी चुनौती दी है कि उनकी जमीन की जब चाहे पैमाईश करवा कर देख लें। वीरभद्र और धूमल आज प्रदेश के शीर्ष नेता हैं। जनता दोनों के वक्तव्यों को गंभीरता से लेकर उनका अपने हिसाब से आकलन करती है। इस आकलन में जनता 1998 से लेकर अब तक घटे सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नजर डालेगी। 1998 में धूमल पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 1998 के कार्यकाल में धूमल ने वीरभद्र के जमीन मामले पर तब कारवाई की थी। जब इसकी शिकायत वीरभद्र की 1997 में अधिसूचित रिवाई स्कीम में नवम्बर 1997 में ही आ चुकी थी और उच्च न्यायालय के आदेशों पर यह जांच हुई थी। लेकिन इस जांच और अदालत के फैसले पर क्या धूमल ने अमल किया?

इसी तरह वीरभद्र ने 2003 में सत्ता संभालने के बाद हमीरपुर स्थित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों पर जांच की। इस मामले की एफआई आर में धूमल अन्यों में शामिल थे। इसकी हार्डडिस्क का वीरभद्र ने जमकर ढोल पीटा था। बल्कि अपने आवास पर कुछ चुनिदा पत्रकारों को बुलाकर इस हार्ड डिस्क के खुलासे के लम्बे चौड़े दस्तावेज उनको देकर दावा किया था कि अब धूमल बच नहीं सकते। लेकिन जब 15 दिन बाद ही इस हार्डडिस्क का चालान अदालत में दायर हुआ तो उसमें दूर-दूर तक धूमल का नाम नहीं था। जबकि धूमल के स्टाफ के कुछ लोगों के ब्यान रिकार्ड पर थे जो धूमल के निश्चित तौर पर खिलाफ थे।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इन दोनों नेताओं ने भ्रष्टाचार के मामलों में अपने सार्वजनिक ब्यानों से एकदम उल्ट आचरण किया हुआ है। एक दूसरे को बचाने के लिये कई विश्वस्तों को सूली पर चढ़ाया है। जनता इस सबको याद रखे हुए है और इसीलिये खूब जानती है कि जो बड़े-बड़े दावे किये जाते रहे हैं वह विश्वास के लिये नही हैं।

# थर्मल पावर के नाम पर एस्टा में डूबे करोड़े का जिम्मदार कौन

**शिमला/शैल।** प्रदेश सरकार ने सितम्बर 2006 में संयुक्त क्षेत्र में थर्मल प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया और इसके लिये इन्फास्ट्रक्चर विकास बोर्ड के माध्यम से निविदायें मांगी गयी थी। इसके उत्तर में छः पार्टियों ने निविदायें भेजी लेकिन पांच ने ही प्रस्तुति दी और इनमे से दो को अन्त में इसके लिये सक्षम माना क्योंकि इनका कोल माईनिंग अनुभव था। इसमें एक कंपनी थी एस्टा जिसने बंगाल और पंजाब में थर्मल प्लांट लगाने का दावा किया था और एस्टा को इस आधार पर ज्वाईंट वैंचर का पार्टनर चुन लिया गया। दिसम्बर 2006 में यह संयुक्त क्षेत्र उपक्रम बना और जनवरी 2007 में इसके साथ एम ओ यू साईन हुआ। बंगाल क रानीगंज में यह थर्मल प्लांट लगना था। एस्टा आर हिमाचल पॉवर कारपोरेशन में 50:50 की भागीदारी तय हुई और एम ओ यू के बाद 48 महीनों में यह प्लांट लगना था ।

एस्टा को एम ओ यू के तहत दो करोड़ की धरोहर राशी भी पावर कारपोरेशन में जमा करवानी थी। इस प्लांट के लिये कोल ब्लाक चाहिये था। एस्टा ने जे एस डब्ल्यू स्टील के साथ सांझे में भरत सरकार से गौरांगढ़ी में कोल ब्लाक का आवंटन हासिल कर लिया। इसके लिये मई 2009 में जे एस डब्लू के साथ एक और साझेदारी बनाई गयी। लेकिन भारत सरकार ने नवम्बर 2012 में यह आंवटन रद्द कर होने के बाद दिसम्बर 2012 को एस्टा के निदेशक मण्डल ने फैसला लिया कि वह इसमें और निवेश नहीं करेगें। 26 नवम्बर 2014 को एस्टा ने फिर फैसला लिया कि जब तक एचपीएस ईबी लि. के साथ पावर परचेज सैटल नही हो जाता वह इस पर आगे नहीं बढ़ेगें। लेकिन मार्च 2015 में बिजली बोर्ड ने पावर परचेज में असमर्थता दिखायी क्यों पावर रेगुलेटर ने थर्मल पावर पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। पावर कारपोरेशन इसमें चार करोड़ का निवेश कर चुकी है। अधोसंरचना विकास बोर्ड का निवेश अलग है। 2007 में यह संयुक्त क्षेत्र उपक्रम बना था और आठ वर्षो में यह प्लांट नहीं लग सका।

स्मरणीय है कि भारत सरकार ने नवम्बर 2012 में कोल ब्लाक आंवटन रद्द कर दिये थे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर कोल ब्लाक आंवटनों पर सीबीआई जांच बैठ गयी थी। सीबीआई ने एस्टा के संद्धर्भ में चालान कोर्ट में डाल दिया है। ई.डी. भी इस मामलें में जांच कर रही है और उसका चालान कभी भी अदालत में पहुंच सकता है। इस मामलें में जो महत्वपूर्ण बिन्दु सामने आये हैं उनके मुताबिक इस प्रौजैक्ट की फिजिविलटी रिपोर्ट ही नहीं ली गयी थी। इसमें एचपीआईडीबी को जिम्मेदारी क्यों दी गयी जबकि उसका इसमें कोई अनुभव ही नहीं था। जांच में यह भी सामने आ चुका है कि एस्टा का थर्मल में कोई अनुभव ही नहीं था। उसके दावों की कोई जांच क्यों नहीं की गयी? एस्टा से दो करोड़ की धरोहर राशी क्यों नहीं ली गयी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि जब एस्टा 13 दिसम्बर को इसमें ओर निवेश न करने का फैसला ले चुका था फिर उसे 26 दिसम्बर 2012 को 40 लाख और 9-5-2013 को 20 लाख का भागधन क्यों दिया गया?

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभविक है कि जब भारत सरकार कोल ब्लाक का आंवटन नवम्बर 2012 में रद्द कर चुकी थी और पूरे मामले की सी बी आई और ई डी जांच चल रही थी उसके वाबजूद एस्टा को 60 लाख किसके दवाब में दिये गये?

# हरआधे घंटे में एक किसान कर रहा आत्महत्या, सरकार का आय दुगुनी करने का दावा फ्राड

**शिमला/शैल।** भारत में हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है और इसका सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि इस मसले पर देश के अभिजात्य वर्ग की नैतिकता व निष्ठा सवालों में है। इस दर से आत्महत्या इतिहास में कभी नहीं हुई है। किसानों की दशा व उनकी आत्महत्या के आंकड़ों को दुनिया के सामने लाकर नई बहस छेड़ने वाले देश के नामी पत्रकार पी साईनाथ ने ये खुलासा करते हुए देश में खेती की दशा पर संसद का दस दिन का स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की है। मोदी सरकार के इस के उस दावे को कि वो 2022 तक किसानों की आय को दुगुना कर देंगे पूरी तरह फाड करार देते हुए उल्टा सवाल किया कि देश का कोई एक व्यक्ति उन्हें ये बता दे बजट में कोई प्रावधान व नीतिगत ऐसा कोई एक कदम उठाया गया हो जिसये ये आय दुगुनी होनी हो।

इसके अलावा जेटली के बजट में मनरेगा को इस बार आवंटित 38 हजार करोड़ राशि को अब तक की सबसे ज्यादा राशि के जेटली के दावों को भी फाड करार दिया व कहा कि जब 2005-06 से योजना शुरू हुई थी तो 40 हजार करोड रुपए का प्रावधान किया गया था। अब की बार 38 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें भी साढ़े छह हजार करोड़ पिछले साल का बकाया है। मंहगाई दर को मिला लें तो ये 27-28 हजार करोड़ रुपए ही बनाता है।

राजधानी शिमला में पिछले तीन दिनों से रह रहे साईनाथ ने कहा कि खेती को पब्लिक सर्विस घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने देशव्यापी किसान आंदोलन चलाने की वकालत करते कहा कि 1991 से लेकर अब देश भर के किसानों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। ये स्थिति जल्द नहीं बदली तो खेती संकट व किसानों को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। पिछले बीस सालों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन ये आंकड़ा सही नहीं है। ये आतमहत्या इससे कहीं ज्यादा है और अब तक की सरकारें खेती संकट पर कुछ नहीं कर रही है।

राजधानी शिमला में पत्रकारों से रूबरू हुए देश के नामी अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' के पहले रूरल एडिटर पी साईनाथ ने कहा कि हिमाचल के कुल 9 प्रतिशत हिस्से में खेती होती है और इसमें भी 85 फीसद किसान लघु व सीमांत किसान है। ऐसे में खेती व किसानों पर संकट गहरा गया है। इसके उपर तूर्रा ये है कि होटलों, रिजार्ट्स और उद्योगों के लिए खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण कर किसानों की स्थिति को और खराब किया जा रहा है। हिमाचल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहां की स्थिति अजीब है तो परिणाम भी अजीब ही आएंगे। हाईकोर्ट के आदेशों पर सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओं अभियान को लेकर उन्होने कहा कि अतिक्रमण कौन कर रहा है, इसकी परिभाषा तय करनी होगी। साईनाथ जिला शिमला के कुई खदराला गांवों में भी गए व कहा कि जिस गांव में वो गए वो पूरा गांव दलितों का है व उनके पास एक बीघा जमीन है जिस पर सेब के पेड़ लगे हैं। उन्हें भी काटा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मिलने वाले कर्ज अंबानी जैसे रइसों के बिजनेस में लग गया है। एग्री बिजनेस बड़ा धंधा बन गया है और जो कर्ज किसानों को मिलना चाहिए था वो बड़े बिजनेस घरानों को हसतांतरित हो गया है। इससे पहले वीरवार को बचत भवन में लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि देश के टॉप पांच अरबपति एग्री बिजनेस से जुड़े है और सारे बैंक उन्हें कर्ज दे रहे हैं। ऐसे में किसान एक बैंक से कर्ज नहीं ले रहा है बल्कि वो साहूकारों से भी कर्ज ले रहा है। किसान इस तरह कर्ज के मकड़जाल में फंस गया है। आत्महत्या तो इस संकट की एक छाया है इस संकट के बहुत से पहलू है।

किसानों की आत्महत्याओं के मानसून से संबंध को लेकर उन्होने कहा कि कि पिछले बीस सालों में जब मानसून खराब रही आत्महत्याएं तब भी बहुत ज्यादा हुई जब खराब हुई तब ये आंकडा बहुत ज्यादा रहा और जब मानसून ठीक रही तब भी किसानों की आत्महत्याएं बहुत ज्यादा हुई। खेती करने की लागत बहुत तेजी से बढ़ गई है लेकिन क्या खेती से आय में भी उतनी ही बढ़ोतरी हुई है, ये उल्टा सवाल उन्होंने उछाल दिया। उन्होने कहा कि 1991 में डीएपी खाद की एक बोरी 150 से 180 रुपए में आ जाती थी। 2010 में ये 900 रुपए की हो गई और आज इसकी कीमत15-18सौ रुपए हो गई है।

साईनाथ ने सरकार के कृषि को मदद देने वाले ढर्रे पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश भर के किसान केंद्र कृषि औजारों को बनाने वालों के कमिशन एजेंट बन गए है। कृषि विवि कारपोरेट के कारोबार को बढ़ाने में मददगार हो गई है। सरकार फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पैदा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि अधिकांश आत्महत्याएं वही किसान कर रहे हैं जो कैश क्रॉप उगा रहे हैं। उन्होने कहा कि किसानी बिजनेस नहीं है ये आजीविका चलाने के लिए है।

सबसे ज्यादा कृषि कर्ज अमीरों की झोली में जा रहा है। खेती करने के अलावा खेती से जुड़ा सारा कारोबार बड़े कारोबारियों के हाथ में चला गया है। खाद, बीज, कृषि औजार और खेती की कीमत तक में से किसी भी चीज पर किसान का नियंत्रण नहीं है। विजय माल्या 9000 हजार करोड़ कर्ज लेकर फरार हो जाए तो उसे कुछ नहीं किया जाता आम किसान छह सात हजार के कर्ज को न चुकाने पर जेल जा सकता है। देश के करीब दस राज्यों में कर्ज न चुकाने पर जेल भेजने का प्रावधान है।

इससे पहले वीरवार को बचत भवन में दिए अपने लेक्चर में उन्होने कहा कि देश में 50 प्रतिशत किसान नहीं है बल्कि ये खेती पर निर्भर है। पिछले बीस सालों में किसानों की संख्या में भारी कमी आई है। 1991 से लेकर 2001 तक 72 लाख किसान कम हो गए। रोजाना 2000 किसान खेती छोड़ रहा है। उन्होने सवाल खड़ा किया कि खेती छोडकर ये कहां जा रहे है। उन्होंपने कहा कि पिछले बीस सालों में गांवों से शहरों के लिए भी विस्थापन हुआ है। बहुत से गांवों में बच्चे व बुढ़े ही रह गए है।

खेती के अलावा पानी का संकट बड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 70 प्रतिशत पूंजीपतियों के पते मुंबई है लेकिन सबसे ज्यादा 63 हजार आत्महत्याएं महाराष्ट्र में ही हुई है। यहां पर हर दिन हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या मानसून की वजह से नहीं है बलिक ये मानव निर्मित है। जल संकट का देश के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है और पानी का वितरण शहरों के लिए ज्यादा है गांवों के कम। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 53 फीसद पानी मुबई, पुणे और थाने को वितरित किया जा रहा है। वहां भी लाइफ स्टाइल के लिए ज्यादा पानी खर्च हो रहा है। शहरों में बड़ी बिल्डिंगें बन गई है और हर फ्लोर पर स्वीमिंग पुल बना दिए गए है। जो किसान गांवों में पानी न होने की वजह से खेती छोड़ कर शहरों में आ गए है वो शहरों में मजदूर बनकर स्वीमिंग पुल बना रहे है।

साईनाथ ने कहा कि फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिभा की आबादी 7अरब 25 करोड़ है ओर 14 अरब 14 करोड़ आबादी के लिए खाना है व इसे उन लोगों तक पहुंचाने की क्षमता भी है लेकिन शोषण के कारण दुनिया की बड़ी आबादी भूखमरी की शिकार है। उन्होंने कहा कि भारत के किसानों के पास फूड सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के हल के लिए एम एस स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन कमिश्न रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश किसानों को कृषि उत्पादन की लागत व उस पर 50 प्रतिशत ज्यादा राशि मुहैया कराने का प्रावधान है। लेकिन जब से ये रिपोर्ट सरकार के पास आई है तब से लेकर अब इस पर एक बार भी बहस नहीं हुई है।

उन्होंने मीडिया को लेकर कहा कि मीडिया ने खेती को कवर करना छोड दिया है देश के तीन बड़े चैनलों व तीन बड़े अखबारों में खेती की कवरेज कुल 0.35 प्रतिशत है।